रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 14 जून, 1988/24 ज्येष्ठ, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

सतर्कता विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 13 जून, 1988

संख्या पर0 (विज0) ए0 (3)-5/83.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 (1984 का 3) की धारा 40 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण नियम, 1988 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 है।

(ख) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(2) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इनमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 में परिभाषित हैं वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं।

3. अधिनियम की धारा 36 के अधीन रिपोर्ट.—अधिनियम की धारा 36 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशक्त सक्षम प्राधिकारी अधिनियम के अधीन अपराध/अपराधों का संज्ञान करने के लिए इन नियमों में संलग्न निर्देशन पत्र में लिखित रूप में न्यायालय को रिपोर्ट करेगा।

4. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.:—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाइयां उत्पन्न हों तो सरकार ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबन्ध नहीं है, आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कठिनाईयों का निराकरण कर सकेगी। इस नियम के अधीन सरकार द्वारा दिया गया आदेश उसके दिये जाने के तुरन्त पश्चात विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 की धारा 36 के अधीन रिपोर्ट के निर्देशन पत्र

हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या. ..... रिपोर्ट तारीख .....

पुलिस ने अन्वेषण के उपरान्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, की धारा 173 के अधीन, विस्तृत तथ्य तथा अन्वषण के दौरान एकत्रित किए गए मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को दर्शित करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है,

और यह अभिकथित किया गया है कि श्री ..... (यहां अपराधी का नाम दिया जाएगा) ने ..... (यहां अपराधी द्वारा ग्रहण पद का नाम भरा जाएगा) के रुप में कार्य करते हुए, ... (मास का नाम) के ..... (अपराध की तारीख लिखी जाएगी) दिन को या उसके लगभग ..... (स्थान का नाम) पर निम्नलिखित अपराध किया है या किए हैं :—

*. . . . . .

. . . . . .

और कथित कार्य/कार्यों से, हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 (1984 का 3) की धारा ..... के अधीन दण्डनीय अपराध बनता है या बनते हैं ;

मैं (प्राधिकारी का नाम) कथित अधिनियम की धारा 36 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा सतर्कता विभाग की अधिसूचना संख्या. . . . . तारीख. . . . . .

*कार्य/कार्यों, भूल/भूलों से बने अपराध/अपराधों का विवरण।

के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी होने के नाते, अधिनियम के अधीन अपराध/अपराधों का संज्ञान करने के लिए न्यायालय को लिखित रूप में रिपोर्ट करता हूं, और उक्त अभिकथनों तथा मामलों की परिस्थितियों के सम्बन्ध में मेरे समक्ष आई सामग्री का पूर्णतया तथा ध्यान पूर्वक परीक्षण करने के उपरान्त समझता हूं कि श्री . . . . . अपराधी का नाम भरा जाएगा) को उक्त अपराध/अपराधों के लिए न्यायालय में अभियोजित किया जाना चाहिए,

अतः सतर्कता विभाग की पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ पठित हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 की धारा 36 के उपबन्धों के अनुसरण में श्री . . . . . (अपराधी का नाम) के विरुद्ध कथित अपराध/अपराधों या उसके द्वारा किए गए कार्य/भूल सम्बन्धी विधि के अन्य उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किन्हीं अन्य अपराध/अपराधों का संज्ञान करने के लिए प्रार्थना सहित लिखित रूप में एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं। पुलिस अन्वेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के एक भाग के रूप में पढ़ी जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम

मोहर सहित हस्ताक्षर ।

[*Authoritative English text of Government notification No. Per.* (*Vig.*) *A*-(3)-5/83, *dated* 13-6-1988 *is hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under clause*(3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

VIGILANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 14*th June*, 1988

No. Per.(Vig.)A(3)-5/83.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 (Act No. 3 of 1984) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Rules, 1988.

(2) These shall come in to force at once.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983; and

(*b*) "Government" means the Government of Himachal Pradesh.

(2) All other words and expressions used herein, but not defined, and defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Report under section 36 of the Act.—The report shall be made in writing by the competent authority empowered by the State Government under section 36 of the Act, to the Court to take cognizance of an offence(s) under the Act, in the proforma attached to these rules.

4. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act, the Government may, in relation to the matters for which no provision has been made in these rules, by order, not inconsistent with the provisions of the Act, remove such difficulties:

Provided that immediately after an order is made by the Government under this rule, the same shall be laid before the Legislative Assembly.

By order.
Sd/-
Secretary.

PROFORMA FOR REPORT UNDER SECTION 36 OF THE HIMACHAL PRADESH PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

No. ..... Dated.....

REPORT

WHEREAS the Police after investigation has prepared a report under section 173 of the Code of Criminal Procedure incorporating facts in detail in the evidence, oral and documentary, (including list of witnesses) collected during investigation,—

AND WHEREAS it is alleged that Shri.....(here enter the name of the offender) while functioning as.....(here enter the post held by the offender at the time of offence), on or about.....day of.....19 (here enter the date of offence) at.....[here enter the place of commission of offence(s)], has committed the following offence(s).—

*.....
.....

AND WHEREAS the said Act(s) constitute an offence(s) punishable under section(s)..... of the Himachal Pradesh Specific Corrupt Practices Act, 1983 (Act No. 3 of 1984);

AND WHEREAS, I.....being the competent authority, as specified by the State Government, *vide* Vigilance Department Notification No..... .....dated....., under section 36 of the said Act, to report in writing to the Court to take cognizance of offence(s) under aforesaid Act, and after fully and carefully examining the material before me in regard to the said allegation(s) and circumstances of the case, consider that said Shri.....(here enter the name of the offender) should be prosecuted in a Court of law for the said offence(s).

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 36 of the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 read with Vigilance Department Notification referred to above, I do hereby report in writing with the prayer to take cognizance of an offence(s) against Shri.....(here enter the name of the offender) for the said offence(s) or any other offences punishable under other provisions of law in respect of the acts/omissions committed by said Shri.....(here enter the name of offender), Police investigation report may kindly be read as part of this report.

Name and designation
of the Competent Authority.

Signatures with Seal.

*Description of the Act(s)/omission(s) constituting offence(s).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।